भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2782

12 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

जलीय कृषकों के समक्ष आने वाली समस्याएं

2782 श्री गोला बाबूराव:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि ई- फिश आंकड़ों के अनुसार, 1.65 लाख किसान 5.75 लाख एकड़ में जलीय कृषि का उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में जलीय उत्पादों की कीमतों में गिरावट एवं चारे की लागत में वृद्धि के कारण जलीय कृषि के कृषकों को हो रही समस्याएं सरकार के संज्ञान में आई हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश में जलीय कृषकों ने फसल अवकाश की घोषणा की है तथा वे किसी भी समय ऐसा कदम उठा सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के जलीय कृषि किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने की योजना है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि ई-फिश पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों और राज्य सरकार द्वारा संधारित डेटाबेस के अनुसार, राज्य में लगभग 2.16 लाख जलकृषि किसान जलकृषि गतिविधियों में संलग्न हैं, जो मीठे पानी और खारे पानी की जलीय कृषि के तहत लगभग 5.79 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करते हैं।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा यथा संसूचित, राज्य में जलीय कृषक बाजार कीमतों में गिरावट और मत्स्य फ़ीड की लागत में वृद्धि के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें चारे की लागत को कम करने की पहल शामिल है। इस संबंध में, चारा निर्माता झींगा फ़ीड की कीमत में 4.00 रुपए प्रति किलोग्राम की कटौती करने पर सहमत हुए हैं।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य मत्स्यपालन विभाग मत्स्य और झींगा किसानों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जलीय कृषक संघों, मूल्य-वर्धित उद्यमों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि आधिकारिक तौर पर पूरे राज्य में कोई फसल अवकाश क्रियान्वित नहीं किया गया है।

(घ): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार आंध्र प्रदेश सरकार के समन्वय से राज्य में जलीय कृषकों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पंजीकृत जलीय कृषकों को 1.50 रूपए प्रति यूनिट की सब्सिडी दर पर बिजली प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, फ़ीड निर्माताओं के साथ परामर्श कर, राज्य में झींगा फ़ीड की कीमत में 4.00 रुपए प्रति किलोग्राम की कटौती की गई है। झींगा पालन की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करने के महत्व को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने जलीय कृषि उत्पादन की लागत को कम करने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 और 2025-26 में, 16 प्रमुख जलीय कृषि इनपुट पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाया गया, जिसके तहत दरों को 30% से घटाकर 0-5% तक कर दिया गया, जिससे आवश्यक इनपुट की लागत कम हो गई। इसके अतिरिक्त, सितंबर 2025 में, भारत सरकार ने कृषि उपकरण, फ़ीड की सामग्री, वॉटर कंडीशनर, मत्स्यन जाल और मूल्य-वर्धित समुद्री खाद्य उत्पादों सहित 20 से अधिक मत्स्यपालन और जलकृषि से संबंधित उत्पादों पर GST दरों को 12-18% से घटाकर 5% करने की मंजूरी दी।

इन उपायों से उत्पादन लागत कम होने, आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के किसानों की लाभप्रदता में सुधार होने और भारत के जलकृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही, भारत सरकार और राज्य सरकार पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान को कम करने और मत्स्य किसानों की आय बढ़ाने के लिए मूल्य-वर्धित उद्यमों को बढ़ावा दे रहे हैं।
